

OFFICE NOTE SHEET

0-20
0-20
6-10-20
साक्षी
33
3-4-21

28⁰⁹ वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी एवं साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जा चुकी है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को सिद्ध करने का भार वादी पर था, साक्ष्य के अभाव में वादी वाद के अभिकथनों को सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अनिलेखागार रहे।

